न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–02/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. शीलावती पत्नि श्री मदनसिंह,
2. दलबीर सिंह पुत्र मदनसिंह,
3. नवनीत कौर पुत्री जीवनसिंह,
4. गुरनीत पुत्री जीवनसिंह,
5. सुखविन्दर पुत्र जीवनसिंह नाबालिग जर्ये सरपरस्त नवनीत कौर बड़ी बहिन,
6. इकबाल सिंह पुत्र मदनसिंह,
7. गुरदीपसिंह पुत्र श्री मदनसिंह,
8. जरनेलसिंह पुत्र श्री मदनसिंह,
9. आज्ञा कौर पुत्री श्री मदनसिंह,
10. दलजीत कौर पुत्री श्री मदनसिंह जातियान ब्राह्मण सिख निवासीयान ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर ।

..... अपीलांटान/प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्ण गोपाल अत्री पुत्र श्री हुकमचन्द शर्मा, निवासी 282, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली ।

..... असल रेस्पो0

2. शाखा प्रबन्धक इंडियन ऑवरसीज बैंक, मुबारिकपुर ।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर लैण्ड होल्डर ।

..... तकमीली रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री आस मोहम्मद/श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री राकेश यादव, अभिभाषक तर0 रेस्पो0 सं0 2
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–23.05.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.11.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2315

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक ख0 नं0 171 रकबा 11 बिस्वा, 171/2149 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का 5/21 हिस्सा यानि 5 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 342 रकबा 0.68 है. बना है जिसमें अन्य खसरा नम्बर भी सम्मिलित है जो आराजी वाके ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ़ में स्थित है । विवादित आराजी के हाल ख0 नं0 342 रकबा 0.68 है0 बनाया गया है जो साबिक ख0 नं0 171 रकबा 11 बिस्वा, 171/2146 रकबा 10 बिस्वा, 172 रकबा 9 बिस्वा, 173 रकबा 12 बिस्वा, 175 रकबा 12 बिस्वा से मिलकर बना है और राजस्व कर्मचारियों की गलती से मिलान क्षेत्रफल में साबिक ख0 नं0 171 को दर्ज कर दिया गया जैसाकि मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2058 से साबित है । उक्त विवादत आराजी ख0 नं0 171 रकबा 11 बिस्वा व 171/2149 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा का 5/21 हिस्सा यानि 5 बिस्वा आराजी वादी ने प्रतिवादीगण सं0 2 ल0 9 के पिता व पति मदनसिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दि0 23.08.1999 को खरीद की थी और वक्त खरीद से ही वादी मौके पर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा आज भी मौके पर काबिज हैं । वादी विवादित आराजी का सद्भाविक केता है जिसने उक्त विवादित आरजी का प्रतिफल अदा कर उक्त विवादित आराजी खरीद की है जिससे वादी उक्त आराजी का स्वयं को कब्जे काश्त खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है और अपने पक्ष में इन्तकाल दर्ज कराकर कागजातमाल में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है और प्रतिवादीगण 2 ल0 10 का नाम कागजात माल में से कलमजन कराने का अधिकारी है । इसलिए वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया लेकिन प्रतिवादी सं0 2 ल0 10 की ओर से विधिवत् तामील बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आये । प्रतिवादी सं0 2 ल0 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादी सं0 1 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनकर वाद वादी दि0 3.11.2017 को डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 3.11.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन असल रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावे के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादी/असल रेस्पो0 कृष्ण गोपाल के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट का वाद पेश किया । तहत न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 7.4.2015 के अनुसार प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दि0 12.5.2015 को पेश करने के आदेश हुए । पत्रावली के अनुसार प्रतिवादीगण की तलबी हेतु किसी प्रकार से सम्मन जारी नहीं किये जो पत्रावली में खाली ही होना पाये गये हैं । इसके उपरान्त पत्रावली की आदेशिका दि0 1.9.2015 के अनुसार प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. पेश की

गई लेकिन पत्रावली में न तो रजिस्टर्ड ए.डी. के तामील के आदेश जारी किये गये और न ही रजिस्टर्ड ए.डी. की किसी प्रकार की कोई रसीदें हैं । इसके उपरान्त आगामी तारीख पेशी दि0 29.9.2015 से 8.8.2017 तक पत्रावली तलबी गौर पत्रावली में नियत रही । दि0 8.8.2017 के बाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 3.10.2017 को आदेशिका अनुसार पैरोकार सरकार एवं वादी की बहस सुनी गयी । पैरोकार सरकार के जवाब के अनुसार प्रतिवादीगण की तलबी किये जाने और उन्हें सुना जाना आवश्यक है जिससे विधि अनुकूल निर्णय पारित किया जा सकें परन्तु तहत न्यायालय के द्वारा न तो उनकी तलबी की गई और न ही सुनवाई का मौका दिया गया और प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई जो प्रतिवादी के विरूद्ध है ।

बहस में अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं का हवाला दिया और कहा कि तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश दस्तावेजों को न तो एक्जीविट कराया गया है और न ही किसी प्रकार की साक्ष्य ली गई है । इस प्रकार से सी.पी.सी. के प्रावधानों का अनुशरण नहीं किया गया है। कोर्ट मैन्युअल के प्रावधानों की अवहेलना की गई और एकपक्षीय आदेश पारित करके विधिसम्मत निर्णय तहत न्यायालय ने पारित किया है । अपीलांट को कथित बयनामें के विरूद्ध कोई काउन्टर क्लेम पेश करने का अवसर नहीं मिला तथा उसके संबंध में किसी प्रकार की साक्ष्य पेश करने का भी अवसर नहीं दिया गया । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें तथा तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.11.2017 को निरस्त करते हुए पत्रावली तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

हमने तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया व वाद के तथ्यों तथा पत्रावली की आदेशिका दि0 7.4.2015, 1.9.2015, 29.9.2015 से 8.8.2017 का अवलोकन किया जिसके अनुसार पत्रावली वास्ते तलबी नियत थी । आगामी आदेशिका दिनांक 3.10.2017 को वादी और पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी और दि0 3.11.2017 को निर्णय पारित किया गया । आदेशिकाओं के अनुसार न तो प्रतिवादीगण की तामील हुई और न ही पत्रावली में किसी प्रकार की रजिस्टर्ड ए.डी. की रसीदें पायी गयी और न ही किसी प्रकार के तलबी सम्मन प्राप्त हुए । सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार न तो तलबी समाप्ति करके एकपक्षीय कार्यवाही की गई और न ही कानूनी तनकीयात कायम करके वादी की साक्ष्य ली गई तथा न ही दस्तावेजों को किसी प्रकार से एक्जीविट करवाया गया । पैरोकार सरकार ने भी जवाब में अंकित किया है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है और प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 3.11.2017 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

जाता है कि प्रतिवादीगण की विधिवत् तामील कराते हुए एवं सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षों को सुनकर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम करते हुए गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/5/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर